



न्यायालय तहसीलदार, तहसील रामगढ

सरकार जरिये पटवारी हल्का नंगला ललावण्डी

बनाम

फूलसिंह पुत्र सम्पत जाति मेघवाल निवासी मांदला कला तहसील रामगढ

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं० 22/2024

निर्णय दिनांक 20/11/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मांदला कला के बंजड प्रथम भूमि के आ०ख०नं० 368 रकबा 0.01 है० एवं 369 रकबा 0.11 है० में से क्रमशः 0.01 एवं 0.05 हैक्ट. पर गेहू की फसल कर फूलसिंह पुत्र श्री सम्पत जाति मेघवाल निवासी मादला कला तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का ललावण्डी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय तार्ड भू०अभि० निरीक्षक वृत्त मिलकपुर के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल फूलसिंह पुत्र श्री सम्पत जाति मेघवाल निवासी मादला कला तहसील रामगढ को राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायलान नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर सायल के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह संतोषप्रद नहीं है। गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। गैर सायलान को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः गैरसायलान को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नाजायज कब्जा 0.06 हैक्ट, पर गेहू की फसल बो कर अतिक्रमण कर लेने पर दण्ड स्वरूप लगान 0.12 रू० का 50 गुना रू० 6/- पैनल्टी आरोपित की जाती है। साथ ही पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि फसल जब्त कर फसल की निलामी कराई जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तहसील को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू० अभि० निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




तहसीलदार
तहसील रामगढ
राज्य (अलवर)